निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण 1933 (श0)

(सं0 पटना 394) पटना, बुधवार, 3 अगस्त 2011

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

2 मई 2011

सं0 निग/सारा–4 (पथ)–43/03–5057 (एस)—श्री सत्यनारायण पासवान, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल वैशाली सम्प्रति कार्यापालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल–2, औरंगाबाद के विरूद्ध पथ प्रमंडल, वैशाली के पदस्थापन काल में महात्मा गांधी सेतु के उत्तरी छोर पर पथ कर संग्रह में बरती गयी अनियमितता के लिए विभागीय अधिसूचना सं0 3586, दिनांक 29 मई 1998 द्वारा निलंबित कर विभागीय अधिसूचना संख्या 3940 (एस) अनु0, दिनांक 06 जून 1998 द्वारा विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना के संचालन में विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री पासवान को अधिसूचना संख्या 8761 (एस), दिनांक 13 अक्तूबर 2003 द्वारा विभागीय कार्यवाही जारी रखते हुए निलंबन मुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–1022, दिनांक 04 अक्तूबर 2001 द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत दंड पर लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त सभी कागजातों को संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–11198 (एस) अनु0 दिनांक 30 दिसम्बर 2003 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श/सहमति की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विभागीय प्रस्ताव से सहमति अपने पत्रांक–1620, दिनांक 27 अक्तूबर 2004 द्वारा दी गयी जिसके उपरांत अधिसूचना संख्या 5404 (एस), दिनांक 28 मई 2006 द्वारा श्री पासवान को निम्न दंड संसूचित किया गयाः–

(I) श्री सत्यनारायण पासवान को कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के पद से सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर पदावनत किया जाता है।

(II) इनके निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

(III) इनके द्वारा गबन की गई राशि रु0 6,40,099 का 50 प्रतिशत राशि अर्थात रु0 3,20,050 की वसूली इनके वेतन एवं अन्य भुगतेय राशि से की जायेगी।

2. उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री पासवान द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को विभागीय अधिसूचना संख्या 11302(एस), दिनांक 26 सितम्बर 2006 द्वारा अस्वीकृत किया गया। तत्पश्चात निर्गत दंडादेश के विरूद्ध श्री पासवान द्वारा माननीय न्यायालय में याचिका संख्या 15965/06 दायर की गयी जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 25 जुलाई 07 को पारित न्यायादेश द्वारा श्री पासवान के विरूद्ध निर्गत दंडादेश को निरस्त करते हुए द्वितीय कारण पृच्छा सूचना निर्गम स्तर से कार्रवाई आरंभ करने हेतु इस मामले को प्राधिकार को वापस किया गया। तदआलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 14592, दिनांक 14 नवम्बर 2007 द्वारा श्री पासवान के विरूद्ध निर्गत दंडादेश को निरस्त करते हुए श्री पासवान से द्वितीय कारण पृच्छा कर उनसे उत्तर प्राप्त होने के उपरांत दंड के बिन्दु पर पुनः निर्णय

लिया जायेगा का आदेश निर्गत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में श्री पासवान से पूर्व संचालित विभागीय कार्यवाही एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर स्पष्ट रूप में असहमति के बिन्दु पर असहमति के कारणों को अंकित करते हुए विभागीय पत्रांक–14579 (एस) अनु0, दिनांक 14 दिसम्बर 2007 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। श्री पासवान के पत्रांक–शून्य दिनांक 12 जून 2009 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को समीक्षोपरांत इसे असंतोषजनक पाते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए श्री पासवान को कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के पद से सहायक अभियंता (असैनिक) के निम्नतम प्रक्रम पर पदावनत करने, निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी भुगतान नहीं करने परन्तु अन्य प्रयोजन हेतु इसे कर्तव्य पर बिताई गयी अवधि माने जाने एवं गबन की गयी वास्तविक राशि रु0 1,98,871 (एक लाख अठानवे हजार आठ सौ एकहत्तर रुपये) की वसूली इनके वेतन एवं अन्य भुगतेय राशि से करने के दंड प्रस्ताव पर सरकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक–7304 (एस) अनु0, दिनांक 18 मई 2010 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी।

3. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–2238, दिनांक 02 दिसम्बर 2010 से प्राप्त परामर्श में सरकार द्वारा निर्णित दंड में आरोपित पदाधिकारी को पदावनत करने के दंड पर असहमति व्यक्त की गयी जबकि शेष दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

4. बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त परामर्श के आलोक में पुनः समीक्षोपरांत यह स्थापित पाया गया कि श्री पासवान के द्वारा रु0 1,98,871 (एक लाख अठानवे हजार आठ सौ एकहत्तर रूपये) का गबन/अनियमितता की गयी जो एक घोर वित्तीय अनियमितता है इस दृष्टिकोण से विभाग द्वारा प्रस्तावित दंड युक्ति–युक्त एवं समानुपातिक पाते हुए, एवं आयोग के सलाह को बाध्यकारी नहीं मानते हुए पुनः सरकार के अनुमोदनोपरांत श्री सत्यनारायण पासवान, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल वैशाली सम्प्रति कार्यापालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल–2, औरंगाबाद को निम्न दंड संसूचित किया जाता है :–

(I) कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के पद से सहायक अभियंता (असैनिक) के निम्नतम प्रक्रम पर पदावनत।

(II) निलंबन अवधि में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान, परन्तु, अन्य प्रयोजन हेतु इसे कर्तव्य पर बिताई गयी अवधि मानी जायेगी।

(III) गबन की गयी वास्तविक राशि रु0 1,98,871 (एक लाख अठानवे हजार आठ सौ एकहत्तर रुपये) इनके वेतन एवं अन्य भुगतेय राशि से वसूली।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 394-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in